

संख्या- 1956/15-7-16 1351/1997

प्रति,

श्री श्री ००० नं०,
संयुक्त राज्य,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

संयुक्त
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिठा रोड २ संयुक्त रोड,
प्रीति विहार नई दिल्ली ।

विषय 171 अनुमान

संख्या: दिनांक: 18 जून, 1997

विषय:- हरदोसी विद्या मन्दिर रोड मार्ग रूट को सी०बी०सी०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता को अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र लाने का निदेश हुआ है कि हरदोसी विद्या मन्दिर रोड मार्ग रूट को सी०बी०सी०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सीताघटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से विद्यालय की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद के वैध शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोटिंग कार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्वेलोपमेंट नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शैक्षणिक कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
6. कर्मचारियों की सेवा गति बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अज्ञातकीय उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर वो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रूपन/परिष्कारों में रखा जायेगा ।

191 उक्त इलाकों में राज्य सरकार के पुनर्निर्माण के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि :-

111 विद्यालय में कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षितर कर्मचारियों को दिया जा रहा वेतन मानकानुसंग/न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की व्यवस्था मुख्य है ।

121 विद्यालय में ईकोनॉमिक योजना तथा समय लागू करके शासन को अवगत कराया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या क्षमिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। श्रीक. गांगूली ।
संयुक्त सचिव ।

[MANAGER]

Saraswati Vidya Mandir
Senior Secondary School, Etah

प्रांति 1956।11/15-7-1997 तदतिर्नांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुपनार्थ सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, रदा ।
- 4- निरीक्षक, जिला भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, सरस्वती विद्या मन्दिर रेतो नार्थ रदा ।

आज्ञा है,

[PRINCIPAL]

Principal
Saraswati Vidya Mandir
Senior Secondary School, Etah

। श्रीक. गांगूली ।
संयुक्त सचिव ।